न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2045–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–5–2016 पारित द्वारा तहसीलदार, कसरावद जिला खरगोन, प्रकरण कमांक 2/अ–13/2015–16.

जितेन्द्र पिता रामेश्वर
निवासी भोईन्दा तहसील कसरावद,
जिला खरगोन .....आवेदक

विरूद्ध

सिग्या पिता नारायण बलाई
निवासी जरोली तहसील कसरावद
जिला खरगोन .....अनावेदक

श्री जे0एस0मण्डलोई, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती पंकज अजमेरा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, कसरावद जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार कसरावद के समक्ष संहिता की धारा 131, 132 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि तहसील कसरावद स्थित भूमि सर्वे कमांक 452/1/1 रकबा 0.903 हेक्टेयर स्थित है । उक्त भूमि पर जाने हेतु एवं 20 काश्तकारों की भूमि पर जाने हेतु रूढ़िगत रास्ता है

जिसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–13/2015–16 दर्ज कर दिनांक 25–05–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक की ओर से यह नहीं बतलाया गया है कि आवेदक द्वारा उसका रास्ता कब रोका गया है, जबकि प्रश्नाधीन रास्ता आवेदक के खेत से दिये जाने के कारण उसकी फसल बर्वाद हो रही है । उनके द्वारा तहसीलदर का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन रास्ता आम रास्ता है जिससे ग्रामवासी आते–जाते है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर रास्ता खुलवाये जाने के आदेश दिये गये है जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है और प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करना है, जहॉ आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है और साक्ष्य/दस्तावेज से वह रूढिगत रास्ता नहीं होना प्रमाणित कर सकता है। उनके द्वारा निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण में यह नहीं देखा गया कि क्या आवेदक के जाने आने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध

है अथवा नहीं, जबकि प्रकरण में आवेदक की ओर से यह आधार लिया जा रहा है कि आवेदक के लिये आने जाने के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, इसलिये अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खोले जाने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ के तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे पुनः उभयपक्षों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करें एवं आवेदक द्वारा बताये गये वैकल्पिक मार्ग का भी निरीक्षण कर तद्नुसार विधि अनुरूप आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, कसरावद जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–5–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर